दिल्ली विधान सभा
समाचार भाग-1

(कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख)
वृहस्पतिवार,28 मार्च,2002/चैत्र 07,1924 शक

संख्या :69

1. 2.00 बजे **प्रश्न काल :** तारांकित प्रश्न संख्या 22,23,25,30,32,33,36 एवं 37 पूछे गये और उनके मौखिक उत्तर दिये गये । तारांकित प्रश्न संख्या-21,24,31,34,35,38-40 और अतारांकित प्रश्न संख्या- 9 से 18 के उत्तर सदन पटल पर रखे गये ।

मानानीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि 27 मार्च,2002 को रद्द हुई सदन की बैठक को दृष्टिगत रखते हुए उस दिन के लिये सूचीबद्ध तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नों को सदन पटल पर रखा हुआ माना जायेगा ।

सदन पटल पर प्रस्तुत किये गये कागजात

2. 3.00 बजे 1. वित्त मंत्री ने निम्नलिखित की प्रति सदन पटल पर रखीः-

i) आर्थिक सर्वेक्षण

ii) विनियोजन एवं वित्त लेखे तथा 31.3.2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिये नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन ।

2. सचिव,विधान सभा ने पिछले सत्र में सदन द्वारा पारित एवं स्वीकृत किये गये निम्नलिखित प्रत्येक विधेयक की प्रति सदन पटल पर रखीः-

i) दिल्ली विधान सभा सदस्य (वेतन,भत्ते)(संशोधन) विधेयक,2001

ii)राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्रियों के (वेतन एवं भत्ते)(संशोधन)विधेयक,2001

iii) दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम,2001 (2002 का अधिनियम संख्या-5)

iv)दिल्ली विधान सभा द्वारा 1994 में पारित दिल्ली सिक्ख गुरुद्वारा संशोधन अधिनियम,2002 (2002 का अधिनियम संख्या-1)

3. 3.05 बजे **प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण** :श्री मंगत राम सिंघल ने कार्य मंत्रणा समिति का नौवां प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किया ।

4. 3.06 बजे **वित्तीय समितियों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव**

श्रीमती शीला दीक्षित,मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत कियाः-

कि दिल्ली विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम-192 के उप नियम-2, नियम 194 के उप नियम-2 तथा नियम-196 के उप नियम-2 के अनुसरण में इस सदन के सदस्य अप्रैल,2002 से 31 मार्च,2003 को समाप्त होने वाली कार्य अवधि के लिये लोक लेखा समिति/प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से सात-सात सदस्यों का निर्वाचन करने के लिये अग्रसर होते हैं ।

प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

अध्यक्ष महोदय ने वित्तीय समितियों के निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित किया :
नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि - 3.4.2002 अप. 4.00 बजे तक

नाम वापस लेने की अंतिम तिथि - 5.4.2002 अप. 4.00 बजे तक
यदि आवश्यक हुआ तो,निर्वाचन की तिथि - 9.4.2002
समय - प्रातः 11 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक

5. 3.08 बजे **विशेष उल्लेख(नियम-287)** : निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 287 के अंतर्गत मामले उठाये:-

1. श्री अमरीश सिंह गौतम
2. श्री मोहन सिंह बिष्ट

6. 3.11 बजे **ध्यानाकर्षण प्रस्ताव :** श्रीमती किरण चौधरी और श्री अरविन्दर सिंह लवली ने स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान पूरी दिल्ली में भारी मात्रा में नकली दवाइयां वितरित होने से उत्पन्न स्थिति की ओर आकर्षित किया ।
स्वास्थ्य मंत्री ने उत्तर दिया ।
निम्नलिखित सदस्यों ने स्पष्टीकरण मांगा :-

1. श्रीमती किरण चौधरी
2. श्री अरविन्दर सिंह लवली
3. डॉ. हर्षवर्द्धन
4. डॉ.(श्रीमती) किरण वालिया

स्वास्थ्य मंत्री ने उत्तर दिया ।

7. 3.30 बजे **बधाई प्रस्ताव** : डॉ. एस.सी.वत्स ने दिल्ली नगर निगम के नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई देने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया । प्रस्ताव को मतदान के लये रखा गया और सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया ।

3.35 बजे सदन जलपान अवकाश के लिये स्थगित हुआ ।

8. 4.15 बजे सदन पुनः समवेत हुआ ।
वर्ष 2002-2003 का बजट : वित्त मंत्री ने वर्ष 2002-2003 के लिये बजट सदन में प्रस्तुत किया ।
वर्ष 2002-2003 के लिये अनुदान मांगें : वित्त मंत्री ने वर्ष 2002-2003 के लिये अनुदान मांगें सदन में प्रस्तुत की ।
वर्ष 2001-2002 के लिये अनुपूरक अनुदान मांगें : वित्त मंत्री ने वर्ष 2001-2002 के लिये अनुपूरक अनुदान मांगें सदन में प्रस्तुत की ।

विनियोजन संख्या-1 विधेयक,2001

श्री महेन्द्र सिंह साथी,वित्त मंत्री ने सदन की अनुमति मिलने के बाद वर्ष 2001-2002 से संबंधित कार्यों के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने से संबंधित

विनियोजन संख्या-1 विधेयक,2001 (2002 का विधेयक संख्या-1)को पुरःस्थापित किया ।

वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाये ।
विधेयक पर खण्डवार विचार हुआ ।
वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि विधेयक को पारित किया जाये ।
प्रस्ताव को मतदान के लये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

विनियोजन लेखानुदान विधेयक,2002 (2002 का विधेयक संख्या-2)

श्री महेन्द्र सिंह साथी,वित्त मंत्री ने सदन की अनुमति मिलने के बाद विनियोजन (लेखानुदान) विधेयक,2002 (2002 का विधेयक संख्या-2) को सदन में पुरःस्थापित किया ।

वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाये ।
विधेयक पर खण्डवार विचार किया गया ।
वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि विधेयक को पारित किया जाये ।
प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

4.46 बजे सदन पूरे दिन के लये स्थगित हुआ ।

एस.के.शर्मा
सचिव

दिल्ली
28 मार्च,2002

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART – I
(Brief record of proceedings)

Thursday, 28th March, 2002/ Chaitra 07, 1924 (Saka)

No. 69

1 **2.00 PM** **QUESTION HOUR**: Starred questions 22,23,25-30,32,33, 36 & 37 were asked and replied. Replies to Starred Questions 21,24,31,34,35,38-40 and Unstarred Questions 9-18 were laid on the Table.
Hon'ble Speaker ruled that in view of the cancellation of sitting held on 27th March, 2002, the replies to Starred and Unstarred Questions listed for that day would be treated to have been laid on the Table of the House.

2 **3.00 PM** **PAPERS LAID ON THE TABLE:**

1. The Minister of Finance laid copies of the following on the Table:

i) Economic Survey

ii) The Appropriation and Finance Accounts for the year 2000-2001 and Report of the Comptroller & Auditor General of India for the year ended 31.3.2001.

2. The Assembly Secretary laid copies of the following Acts which had received the assent of the President:

i) Members of the Legislative Assembly of Delhi (Salary and Allowances) (Amendment) Act, 2001.

ii) Ministers of Government of the National Capital Territory of Delhi (Salary and Allowances) (Amendment) Act, 2001.

iii) The Delhi High Court Act, 2001. (Delhi Act 5 of 2002).

iv) The Delhi Sikh Gurudwaras (Amendment) Act, 2002 (Delhi Act No. 1 of 2002).

3 **3.05** **PRESENTATION OF REPORT:** Shri Mangat Ram Singhal presented the Ninth Report of the Business Advisory Committee.

4 **3.06** **MOTION FOR ELECTION TO FINANCIAL COMMITTEES:**
The Chief Minister moved the following Motion: "That the Members of this House do proceed to elect in the manner required Rule 192(2), Rule 194(2) and rule 196(2)of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly, seven Members from amongst themselves to serve as Members of the Public Accounts Committee, Estimates Committee and Committee on Government Undertakings, for the term beginning from April, 2002 and ending on 31st March, 2003."
The Motion was put to vote and adopted.

Chair announced the schedule for elections to the Financial Committee:

1. Last date for receipt of Nominations: 3rd April 2002 up to 4.00 PM
2. Last date for withdrawal of Nominations: 5th April, 2002 up to 4.00 PM
3. Date of elections, if necessary: 9th April, 2002 (11.00 AM to 1.00 PM)

5 **3.08** **SPECIAL MENTION (Rule 287):**

The following Members made Special Mentions:

1. Shri Amrish Singh Gautam
2. Shri Mohan Singh Bisht

6 **3.11 PM** **CALLING ATTENTION MOTION:**

Smt. Kiran Choudhry and Shri Arvinder Singh Lovely called the attention of the Minister of Health towards the situation arising out of large scale circulation of spurious medicines all over Delhi.

The Minister of Health replied.

The following Members sought clarifications:

1. Smt. Kiran Choudhry
2. Shri Arvinder Singh Lovely
3. Dr. HarshVardhan
4. Dr.(Smt) Kiran Walia.

The Minister of Health replied.

7 **3.30 PM** **CONGRATULATORY MOTION:** Dr. SC Vats moved a motion congratulating the newly elected Members of the Municipal Corporation of Delhi.

The Motion was put to vote and adopted unanimously.

3.35 PM The House adjourned for tea-break.

8 **4.15 PM** **(House reassembled)**

BUDGET FOR 2002-2003: The Minister of Finance presented the budget for the year 2002-2003.

DEMAND FOR GRANTS FOR 2002-2003: The Minister of Finance presented the Demand for Grants for the year 2002-2003.

SUPPLEMENTARY DEMAND FOR GRANTS FOR 2001-2002: The Minister of Finance presented the Supplementary Demand for Grants for the year 2001-2002.

APPROPRIATION (No.1) BILL, 2002 (Bill No.1 of 2002):

The Minister of Finance, with the leave of the House, introduced the Appropriation (No.1) Bill, 2002 (Bill No.1 of 2002 to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of National Capital Territory of Delhi for the services in respect of financial year 2001-2002).

The Minister of Finance moved that the Bill be considered.

The Bill was considered clause-wise.

The Minister of Finance moved that the Bill be passed.

The Motion was put to vote and adopted.

APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 2002 (Bill No.2 of 2002):

The Minister of Finance, with the leave of the House, introduced the Appropriation (Vote on Account) Bill, 2002 (Bill No.2 of 2002).

The Minister of Finance moved that the Bill be considered.

The Bill was considered clause-wise.

The Minister of Finance moved that the Bill be passed.

The Motion was put to vote and adopted.

4.46 House adjourned for the day.

DELHI
28th March, 2002

SK SHARMA
SECRETARY